"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016—आषाढ़ 17, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक बी-1-23/2015/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (वेतन बैण्ड 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन 7600) में कार्यरत श्री पी. एस. ध्रुव, अपर कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 01-06-2016 से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (वेतन बैण्ड 37400-67000/- तथा ग्रेड वेतन 8700) में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	कोरिया	कु. राधिका सैनी, II Civil Judge Class-I & JMFC, बैकुण्ठपुर (कोरिया)
2.	मुंगेली	मुंगेली	श्री लीलाधरसाई यादव, II Civil Judge Clas-I & JMFC, मुंगेली
3.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	श्री अमित जिंदल, I Civil Judge Class-II दंतेवाड़ा

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying JMFC, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baikunthpur (Koriya)	Koriya	Ku. Radhika Saini, II Civil Judge Class-I & JMFC, Baikunthpur (Koriya).
2.	Mungeli	Mungeli	Shri Leeladharsai Yadaw, II Civil Judge Class-I & J.M.F.C. Mungeli.
3.	Dantewada	Dantewada	Shri Amit Jindal, I Civil Judge Class-II, Dantewada

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक एफ -07-10/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अभिषेक शांडिल्य, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ को दिनांक 06-06-2016 से 17-06-2016 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 05, 18, 19 एवं 20-06-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक शांडिल्य आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शांडिल्य को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शांडिल्य, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अभिषेक शांडिल्य, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार का अतिरिक्त प्रभार श्री बी. एन. मीणा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक एफ -07-08/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री ओ. पी. पाल, (भापुसे), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 29-02-2016 से 22-03-2016 तक (कुल 23 दिवस) का कार्योत्तर अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 28-02-2016 एवं 23-03-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. पाल आगामी आदेश तक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाल को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक एफ -07-09/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री मनीष शर्मा, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छत्तीसगढ़ को दिनांक 21-06-2016 से 05-07-2016 तक (कुल 15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 18, 19, 20-06-2016 एवं 06-07-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शर्मा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मनीष शर्मा, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, धमतरी का अतिरिक्त प्रभार श्री अमित तुकाराम कांबले, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक एफ -07-16/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री टी. एक्का, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को दिनांक 30-05-2016 से 10-06-2016 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 29-05-2016 एवं 11, 12-06-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. एक्का आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एक्का को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एक्का, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री टी. एक्का, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव का अतिरिक्त प्रभार श्री एम. बी. सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्रमांक 809/एफ 2013-04-0000702/स्था./चार.—वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01-04-2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था.

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 1-4-2012 के स्थान पर दिनांक 1-11-2004 से लागू माना जाये. इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक 1148A/1219/2016/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है :—

फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

I. योजना का नाम "फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट एवं टोकरी सहायता योजना" होगा.

II. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता को तराजू, बाट एवं 02 टोकरी हेतु राशि रुपये 700/- (सात सौ रुपये मात्र) प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा.

III. सहायता राशि एक बार प्रदाय किया जावेगा.

IV. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

I. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

II. राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

III. 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राही योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

I. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित जिला के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा.

II. आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(द) भुगतान की प्रक्रिया :— संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकरी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जावेगा.

(ई) विसंगति का निराकरण :— योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक 1163/1191/2016/16.—श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2011/16 दिनांक 02-04-2011 के द्वारा असंगठित कर्मकारों के प्रवर्ग 22 में उल्लेखित सफाई कर्मकार को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2 (M) के परिप्रेक्ष्य में विलोपित किया जाता है एवं सफाई कर्मकार के लिए श्रम विभाग में सफाई कर्मकारों के लिए राज्य शासन द्वारा प्राप्त बजट से पृथक से "सफाई कर्मकार कल्याण निधि गठन" किया जाकर पंजीकृत सफाई कर्मकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ गठित निधि से किया जाना प्रावधानित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्रमांक एफ 10-1/2016/16.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्रमांक 39 सन् 1972) की धारा 7(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम-2 में वर्णित अधिकारियों को कॉलम-3 में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है :—

क्र.	जिले का नाम जहां के नियंत्रक अधिकारी के आदेश पर अपील होगा	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक श्रमायुक्त रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़	उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय
2.	श्रम पदाधिकारी कार्यालय, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर.	सहायक श्रमायुक्त, रायपुर
3.	श्रम पदाधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा, बेमेतरा	सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग
4.	श्रम पदाधिकारी मुंगेली, जांजगीर-चांपा	सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर
5.	श्रम पदाधिकारी अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर	सहायक श्रमायुक्त, कोरबा
6.	श्रम पदाधिकारी, जशपुर	सहायक श्रमायुक्त, रायगढ़

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 1-6/2012/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri Avinash Champawat, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्रमांक एफ 1-27/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत प्राध्यापक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	लो.से.आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री मोहन लाल अग्रवाल	सिविल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
2.	01	श्री गजेन्द्र कुमार अग्रवाल	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3.	01	श्री संजय कुमार सिंघई	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
4.	01	श्री राजू हरिदासी तलवेकर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
5.	01	श्री जैनेन्द्र जैन	गणित	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
6.	01	श्री होरीलाल विश्वकर्मा	भौतिकी	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर
7.	01	श्रीमति श्वेता चौबे	रसायन	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्रमांक एफ 1-30/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत विभागाध्यक्ष, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन रु. 9,000/- (ए.आई.सी.टी.ई) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	लो.से.आ. का प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित विभागाध्यक्ष का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	01	श्री सत्यप्रकाश मिश्रा	सिविल	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
2.	02	श्री अमित मिश्रा	सिविल	शासकीय पॉलीटेक्निक, रामानुजगंज
3.	03	श्रीमती शोभा मालीवाल	सिविल	शासकीय पॉलीटेक्निक, महासमुंद
4.	04	श्री लक्ष्मीकांत यदु	सिविल	शासकीय पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर
5.	01	श्री आशीष मिश्रा	मेकेनिकल	कि. शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
6.	02	श्री देवांशु प्रसाद	मेकेनिकल	उ.प्र.उ. शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
7.	03	श्री मोहनहरि सोनी	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, सुकमा
8.	04	श्री विनोद वर्मा	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, भाटापारा
9.	05	श्री विकास सुखदेवे	मेकेनिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	06	श्रीमती चंद्रिका विश्वकर्मा	मेकेनिकल	शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
11.	01	श्री साजी टी. चाको	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
12.	02	श्री दीक्षित टी.वी.	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोण्डागांव
13.	03	देबजानी चट्टोपध्याय	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरिया
14.	04	श्री सोहनलाल वर्मा	इलेक्ट्रिकल	शासकीय पॉलीटेक्निक, बेरला
15.	01	श्री अभिषेक अवस्थी	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन	उप्रउ शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
16.	02	श्रीमती हिमानी अग्रवाल	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
17.	03	श्री पीयूष लोटिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
18.	01	श्री मनोज कुमार मोदी	माइनिंग	शासकीय पॉलीटेक्निक, सूरजपुर
19.	01	श्री संजीव शर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
20.	01	श्री प्रीतम चरखा	कम्प्यूटर साईंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
21.	02	श्री ईश्वरलाल देशमुख	कम्प्यूटर साईंस	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
22.	01	श्रीमती मृदुल रतन चौरसिया	कॉस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान पर जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3569 को दिनांक 01-07-2016 से 31-10-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक 2065/एफ 1-9/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका-77(i) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध निदेशक, छ.रा. पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित के दिनांक 30-06-2016 को अर्द्धवार्षिकीय आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्हें दिनांक 01-07-2016 से, आगामी एक वर्ष अर्थात् 30-06-2017 तक

अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, के लिए प्रबंध संचालक, छ.रा. पॉवर होल्डिंग कंपनी, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ छ.रा. पॉवर ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में डायरेक्टर (वित्त एवं वाणिज्य) नियुक्त करता है.

2. श्री अनूप कुमार गर्ग, डायरेक्टर की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जाएगी.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक 2067/एफ 1-9/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका-77(i) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध निदेशक, छ.रा. पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित के दिनांक 30-06-2016 को अर्द्ध वार्षिकीय आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्हें दिनांक 01-07-2016 से, आगामी एक वर्ष अर्थात् 30-06-2017 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, के लिए छ.रा. पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित में डायरेक्टर नियुक्त करता है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका-78 (a) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अनूप कुमार गर्ग डायरेक्टर को उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, के लिए छ.रा. पॉवर होल्डिंग कंपनी मर्यादित में प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

3. श्री अनूप कुमार गर्ग, डायरेक्टर एवं प्रबंध संचालक की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2016

क्रमांक एफ 1-15/2015/धर्मस्व/छः.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करके सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**
   (1) यह नियम सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा आर्थिक सहायता नियम 2016 कहलाएंगे,
   (2) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे,
   (3) यह तत्काल प्रभावशील होंगे.

2. **आर्थिक सहायता की पात्रता.—**
   (1) इस नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी.
   स्पष्टीकरण :— छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा.

   (2) किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता की पात्रता जीवनकाल में केवल एक बार होगी.

   (3) आर्थिक सहायता की पात्रता वित्तीय वर्ष 2016-17 में अथवा उसके पश्चात् सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को होगी.

3. **सहायता राशि.—** वयस्कों (18 वर्ष से अधिक आयु) को प्रति वयस्क तीर्थयात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000/- रुपये जो भी कम हो, तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रत्येक बच्चे का वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत या 5,000/- रुपये जो भी कम हो दिया जायेगा.

4. **आर्थिक सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया.—** आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पूर्ण करने के उपरांत प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर को दिया जाना चाहिए और प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरांत आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेगा.

5. **नियमों की व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति.—** इन नियमों की व्याख्या के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, तथा राज्य शासन इन नियमों के संबंध में किसी कठिनाई को दूर कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष के. मिश्र, सचिव.

अनुसूची
(नियम)

सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
इंदिरागांधी मार्ग, तेलीबांधा रायपुर

1. तीर्थयात्री का नाम :- ....
2. पिता/पति का नाम :- ....
3. व्यवसाय :- ....
4. निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक के साथ) :- ....
5. सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर हुए व्यय का विवरण :- ....
6. क्या यह प्रथम सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा है :- ....
7. क्या आवेदक ने इसके पूर्व इन नियमों के अधीन सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की है. :- ....
8. सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा की अवधि :- ....
9. सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा का मार्ग :- ....
10. **घोषणापत्र-** मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्ण सत्य है. मैं यह स्वीकार करता हूं/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए दी गई आर्थिक सहायता राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

Naya Raipur, the 27th June 2016

No. F 1-15/2015/Endowment/VI.—Exercise of the executive powers conferred by the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following rules relating to provide the financial assistance to Sindhu Darshan Pilgrimage, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.—**

(1) These rules shall be called as Sindhu Darshan Pilgrimage Financial Assistance Rules, 2016.

(2) In shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force with immediate effect.

2. **Eligibility fo financial assistance.—**

(1) Only bonafide residents of Chhattisgarh shall be eligibile for financial assistance under these rules.

Explanation.— The meaning of bona-fide residents of Chhattisgarh shall be according to the instruction issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department in this regard, from time to time.

(2) Any person will be eligible for financial assistance only once in his lifetime.

(3) Persons completing Sindhu Darshan Pilgrimage shall be eligible for financial assistance in or after the financial year 2016-17.

3. **Amount of assistance.—** To adults (18 years or above), 50% of the actual expenditure incurred on every adult pilgrimage or a maximum of Rs. 15,000/- whichever is less, and to children of more than 5 years of age, 50%, of actual expenditure incurred on every child or Rs. 5,000/- whichever is less, shall be payable.

4. **Procedure for sanction of assistance.—** The application for financial assistance should be given to the Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board, Raipur in the form given in the Schedule to these rules, after completion of the Sindhu Darshan Pilgrimage and Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board, Raipur may sanction financial assistance after examining the application.

5. **Power to interpret rules and removal of difficulties.—** The decision of the State Government with respect to the interpretation of these rules shall be final and the State Government may, by order, remove any difficulty with respect to these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. MISRA, Secretary.

SCHEDULE

(See rule 4)

Application for getting financial assistance for Sindhu Darshan Pilgrimage

To,

The Managing Director,
Chhattisgarh Tourism Board,
Telibandha, Raipur.

1. Name of the Pilgrim :

2. Father's/Husband's Name :

3. Profession :

4. Complete residential address (including phone number) :

5. Particulars of the expenditure incurred on the pilgrimage. :

6. Is this the first Sindhu Darshan Pilgrimage :

7. Has the applicant availed of Financial assistance for Sindhu Darshan Pilgrimage under these Rules previously. :

8. The duration of Sindhu Darshan Pilgrimage :

9. The route of Sindhu Darshan Pilgrimage :

10. **Declaration —** I Solemnly declare that the information given in this application is true. I agree that if any information given by me is proved to be false, the financial assistance given to me for Sindhu Darshan Pilgrimage may be recovered from me as arrears of land revenue.

Place :

Signature of the Applicant

Dated :

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक एफ 4-119/सात-1/2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 की धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनकी मानीटरिंग करने के लिए, निम्नांकित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति का गठन किया जाता है :—

(1)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(7)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
(8)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सदस्य सचिव

2. उक्त गठित समिति, जब भी आवश्यक हो, बैठक आयोजित कर सकेगी. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक होने पर, किसी अन्य सदस्य तथा प्रख्यात विशेषज्ञ को नामांकित कर सकेगी.

3. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"13. **जन सुनवाई**-सामाजिक समाघात निर्धारण के प्रयोजन के लिए आयोजित जन सुनवाई का समुचित प्रचार-प्रसार, दो दैनिक समाचार पत्रों में किया जायेगा, जिसमें कम से कम एक, प्रभावित क्षेत्र स्थानीय भाषा में होगा."

2. नियम 16 एवं 17 में क्रमश: शब्द एवं अंक "नियम 11" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "नियम 15" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-28/Seven-1/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act, 2013 (30 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assesment, Consent and Public Hearing)

Rules, 2016, the same having been previously published as required by Section 112 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule 13, the following shall be substituted, namely :—

"13. **Public hearing.—** Adequate publicity of public hearing organized for the purpose of Social impact Assesement shall be done by giving in two daily news papers out of which atleast one shall be in local language of affected area."

2. In rule 16 and 17 respectively, for the word and figure "Rule 11", the word and figure "rule 15" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.—कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, पुलिस अधीक्षक जगदलपुर एवं उप मुख्य अभियंता पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम कुम्हरावण्ड, पण्डरीपानी, ककनार, चित्रकोट, मांदर, करकापाल, परपा एवं ग्राम धाटपदमूर की निजी भूमि अर्जन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में होने तथा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/11-12/, 03/अ-82/13-14/, 04/अ-82/14-15/, 05/अ-82/14-15/,06/अ-82/14-15/, 07/अ-82/14-15/, 08/अ-82/14-15/, 09/अ-82/14-15/, 10/अ-82/14-15/, में अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से नहीं किया जा सका है. चूंकि केन्द/राज्य शासन की विभिन्न योजना अन्तर्गत सार्वजनिक एवं राष्ट्र हित के लिए निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन किया जाना प्रस्तावित है.

अतएव भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू-अर्जन प्रकरणों में नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशनार्थ बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2657/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	मैनपुर	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	मजनीमाटी व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2658/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	खेतौली	0.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	शैलापटपर व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2659/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	करवा	0.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	मजनीमाटी व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2660/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	पिछौराबांध	1.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सिंघोर व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2661/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	बहरासी	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सिंघोर व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक 2662/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	भरतपुर	कासीटोला	0.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.)	सिंघोर व्यपवर्तन योजना के लिए नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 1/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-दमदम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	574	0.020
	653/1	0.008
	654	0.089
	581/2	0.045
	518/1	0.085
	587/1	0.036
	584/1	0.138
	577	0.024
	581/3	0.057
	594/5	0.117
योग	9	0.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.90 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	102/12 क	7.50
	102/12 क	2.00
	102/12 क	1.20
	102/12 क	1.20
योग		11.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लहरानाला जलाशय योजना डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मरवाही

(ग) नगर/ग्राम-गुल्लीडांड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220	0.057
222/6	0.138
216/1	0.101
217	0.081
216/2	0.065
221/2	0.032
221/1	0.174
218	0.089
222/1	0.125
215/1	0.061
216/3	0.061
222/3	0.170
योग 12	1.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लिटियासरई जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 मई 2016

क्रमांक/598/न.ग्रा.नि./नया बाराद्वार/वि.यो./2016.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नया बाराद्वार निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

नया बाराद्वार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सरहर, दुरपा, सरवानी एवं सकरेली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सकरेली एवं डुमरपारा ग्रामों में पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम डुमरपारा, पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला, मुक्ताराजा, भागोडिह एवं सरहर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत नया बाराद्वार जांजगीर (छ.ग.).

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

छत्तीसगढ़ मध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्रमांक/1058/प्रशा./स्था./2016.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2 रायपुर, दिनांक 10-06-2016 के अनुसार श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994) द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं पदेन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर का कार्यभार ग्रहण दिनांक 13-06-2016 को कर लिये हैं.

अतः कृपया भविष्य में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं पदेन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर से संबंधित पत्र व्यवहार निम्नांकित पते पर करने का कष्ट करें.

श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994)
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर
कार्यालय का दूरभाष नं. - 0771-2445321, 3057002
फैक्स नं. -0771-2429385

हस्ता./-
उप-सचिव (प्रशा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2016

प्रत्यर्थी को याचिका की सूचना नोटिस
(अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1908 आदेश इकतालिस, नियम 14)

याचिका क्रमांक Company Petition No. 3/2015

M/s Parity Consumer Care Pvt. Ltd.

विरूद्ध

M/s Minwool Rock Fibers Ltd.

No. 9643/Company Petition No. 3/2015.—याचिकाकर्ता गण ने प्रत्यर्थी गण की कम्पनी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिसमापन किये जाने हेतु, माननीय उच्च न्यायालय में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 433 (e) & (f), 434 & 439 (1) b के तहत याचिका प्रस्तुत की है.
प्रति,
Respondent,

M/s Minwool Rock Fibers Ltd.
(A company incorporated under the relevent provisions of Companies Act, 1956),
having its registered office at Village-Revagahan,
Post-Pendri,
District-Rajnandgaon 491441 (C.G.)

कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित याचिका M/s Parity Consumer Care Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीकृत

की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा याचिका एडमिट करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 29-06-2016 नियत की गई है. आपत्तियां/प्रतिआपत्तियां यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से नियत तिथि के पूर्व फाइल की जानी चाहिए.

आपको याचिका की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए किन्तु यदि न्यायालय के काम काज के कारण याचिका उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

यदि अपनी ओर से आप स्वयं आपका वकील या इस के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो याचिका आपकी अनुपस्थिति में सुनी जाएगी और निर्णय दिया जाएगा.

आज दिनांक 02-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की मुहर से दिया गया.

हस्ता./-
असिस्टेंट रजिस्ट्रार, न्यायिक शाखा

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

Comp No. 4 of 2014

M/s Minwool Rock Fibres Ltd. **Versus** Mr. Giriraj Ratan Damani

Comp 3/2015, Comp 17/2015,

SB **Hon'ble Shri Justice Prashant Kumar Mishra**

motion		
10-05-2016	Shri Prafulla Bharat, Shri V. R. Tiwari, Shri Abhishek Sinha and Shri Harshal Chouhan, counsel for the respective petitioners. Shri Amrito Das, counsel for the Official Liquidator in Company Petition No. 4/2014. Shri Ankur Agrawal, Advocate appears on behalf of Shri B.P. Sharma, counsel for the respondent in Company Petition No. 3/2015. Company Petition No. 4/2014 has been preferred by one Mr. Giriraj Ratan Damani for winding up of the company M/s Minwool Rock Fibres Limited, having its registered office at village Rewagahan, Post Pendri, District Rajnandgaon. In this petition, the petitioner claims to be a creditor of the value of Rs. 14,38, 724/-. Before filing of the winding up petition, the petitioner has served statutory notice under Section 434 (1) (a) of the Companies Act, 1956 (henceforth 'the Act'), which is available at page-37 to 40 of the petition. When the notice could not be served on the respondent company, on 11-1-2016, this Court had directed for issuance of advertisement which has been published in the newspaper on 13-4-2016. However, despite publication, no-one appears for the respondent company. Company Petition No. 3/2015 has been preferred for winding up of the same company, by creditor M/s Parity Consumer Care Private Limited to whom the company owes Rs. 16,76,170.10/-. Statutory notice under Section 434 of the Act has been served on the company vide Annexure-P/5. In this petition, Shri Vivek Chopda, Shri Manish Thakur, Shri B. P. Sharma, Shri Hari Agrawal and Shri Raza Ali, Advocates have filed Vakaltanama for the respondent company. However, Shri B.P. Sharma, learned counsel would plead no instructions.	

The petitioner has moved an application under Rule 9 of the Companies (Court) Rules, 1959 (for short 'the Rules') for grant of interim relief to restrain the respondent company from disposing of or parting possession or alienating or transferring or creating any right or title or interest in favour of any person.

In Company Petition No. 17/2015, petitioner IFCI Venture Capital Fund Limited has advanced financial assistance. Total outstanding as on the date of filing of the company petition is Rs. 32,44,80,056/-. In this petition, statutory notice required under Section 434 of the Act has been served vide Annexure-M.

The respondent Company responded to the notice, however, neither financial assistance nor outstanding amount has been disputed. In this petition also, no-one appears for the respondent company despite service of notice, therefore, publication was ordered and yet again, the respondent company has not entered appearance despite service of notice through publication.

In this petition, the petitioner has moved an application for direction to appoint provisional liquidator with all the powers under Section 457 of the Act including the power to take charge of the assets, properties, stock in trade, books of accounts and bank accounts of the respondent company, as also to restrain the company by itself, its servants, agents, officers, directors, employees etc from disposing of, alienating, transferring, encumbering or parting with possession of the properties and Fixed and Movable assets of the respondent company in any manner.

After hearing learned counsel for the petitioners at length and for the fact that the respondent company has either failed to appear before this Court or its counsel has pleaded no instructions in one petition where it has entered appearance, thus not rendering any assistance to this Court in proceeding ahead with hearing of the petition, as also for the reason that in reply to the statutory notice in Company Petition No. 17/2015 the respondent company has not disputed its liability, this Court deems the present batch of petitions to be a fit case for admission and publication of advertisement in accordance with Rules 24, 96 and 99 of the Rules.

Accordingly, the Company Petitions are admitted for hearing. On payment of required fee, as prescribed in the Rules, advertisement be published in the Official Gazette of Chhattisgarh and in English Daily Newspaper namely, 'Hitwada' published from Raipur having circulation in the area where registered office of the respondent company is situate. It be also published in Hindi Daily Newspaper 'Danik Bhaskar' in such of its edition which is widely circulated in the area having registered office of the company. Publication be made on or before 6th June, 2016.

In the facts and circumstances of the case, particularly for the reason that respondent company is not assisting this Court in the petition in which it has entered appearance and could be served after repeated notice i.e. after publication, this Court would proceed to exercise power to appoint provisional liquidator by dispensing with any further notice to the respondent company in terms of Section 450 (2) of the Act and Rule 106 of the Rules. In the above circumstances, official liquidator State of Chhattisgarh is appointed as provisional liquidator in respect of the respondent company. The provisional liquidator shall have all the powers in respect of assets of the respondent company as is enumerated under Section 457 of the Act. The official liquidator shall submit a report in respect of affairs of the respondent company before this Court on the next date of hearing.

Shri Amrito Das, Advocate would accept notice and undertake to file such report before the next date of hearing.

In the meanwhile, respondent company is restrained by itself, through its servants, agents, officers, directors, employees to dispose of or alienate or transfer or encumber or

Barve	parting with possession of the properties both movable and immovable in any manner whatsoever. The provisional liquidator is specifically directed to take charge of the assets, properties, stock in trade, books of accounts and bank accounts of the respondent company. The provisional liquidator shall also publish gist of this order in the newspaper. Post the matter on 29-6-2016. CC as per rules. Sd/- **P. K. Mishra,** Judge.	